



कार्यालय अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

(साधारण बीमा निधि)

द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर-302005 Phone No. 0141-2740219

e-mail add.gis.sipf@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जीआईएफ/जीआईएस अनु./सर्वे. अन्वे. नियु./2021/3694 दिनांक:- ठऽ-०।-२०२।

साधारण बीमा निधि के लिये सर्वेयर्स / वैल्यूअर्स पैनल हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / बोर्ड / निगमों / निकायों / सहकारी अभिकरणों जिनमें राज्य सरकार का सारवान वित्तीय हित निहित हो, की सम्पत्तियों के बीमाकर्ता के रूप में कार्य किया जाता है। साधारण बीमा निधि द्वारा साधारण बीमा के क्षेत्र में मेरीन, मनी बर्गलरी, बैंकर्स इंडेमिनिटी, मशीनरी ब्रेक डाउन, फिडीलिटी, सी.पी.एम लोको, डब्लू, सी. आदि विभिन्न बीमा पॉलिसीयों का संचालन किया जाता रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा कांट्रेक्टर ऑल रिस्क / इरेक्शन ऑल रिस्क इंश्योरेंस का कार्य भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त पॉलिसीयों के संचालन हेतु साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा सर्वेयर्स का विभागीय पैनल गठित किया जाना है। इस हेतु पात्रता निम्नानुसार होगी:-

(i)

(1)		Academic / Technical / Professional / Insurance Qualifications
SL.	Department	Academic / Technical / Professional / Mossian
No.		B.E. / B. Tech. / B.Sc. (Engg.)/ A.M.I.E. or its equivalent, Diploma in
1.	Fire	Institute of Chartered Accountant of India /Institute of Cost Accountants Institute of Chartered Accountant of India /Institute of India (III), Post of India, (ICAI), Fellow members of Insurance Institute of India (III), Post of India, (ICAI), Fellow members of Insurance Insurance Academy.
2.	Marine Cargo	B.E./ B.Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.M.I.E. or its equivalent thereof (Marine Engineering/ Naval Architecture), / certificate of competency as Master of Ship or as First Class Marine Engineer issued by a recognized authority, Degree or diploma in Naval Architecture of a recognized University or Institute. Diploma in Engineering of three years duration; Associate or Institute. Diploma in Engineering of Chartered Accountant of India /Institute of Fellow members of India, (ICAI)/III./Post Graduate Diploma in Insurance Cost Accountants of India, (ICAI)/III./Post Graduate Diploma in Insurance from IIRM, MBA (Logistics and Supply chain management), PGDM from
		National Insurance Academy.
3.	Marine Hull	Engineering/ Naval Architecture)
4.	Engg.	equivalent thereof. Engineering of 3 years duration equivalent thereof. Engineering/ Engineering/
5	Motor	B.E./ B.Tech./ B.Sc. (Engage); Diploma in Mechanical Engineering/ (Mechanical/ Automobile); Diploma in Mechanical Engineering/ Automobile Engineering of 3 years duration from a recognized institution or its equivalent thereof.

6.	Miscellaneous	B.E./ B.Tech./ B.Sc. (Engg.)/ A.M.I.E. or its equivalent; Diploma in Engineering of 3 years duration from a recognized institution or its equivalent; Associate or Fellow Member of ICAI (CA/CMA) Fellow member of., Insurance Institute of India (III) or Post Graduate Diploma in Insurance from IIRM, PGDM from National Insurance Academy.
7.	LOP	Fellow members of Institute of Chartered Accountant of India /Institute of Cost Accountants of India, (ICAI), B.Tech/B.E, Diploma in Engg of three years duration.
8.	Crop Insurance	B.Sc Agriculture / B.Sc. Horticulture/B.Tech (Agricultural Engineering).

(ii) आई.आर.डी.ए. अथवा इसके द्वारा गठित/अनुमोदित संस्थान से सर्वेयर के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस प्राप्त हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त साधारण बीमा निधि कार्यालय को इंजीनियरिंग इंश्योरेंस के क्षेत्र में विभिन्न प्रोजेक्टस का वैल्यूएशन करने के लिये वैल्यूअर्स का पैनल भी तैयार किया जाना है। वैल्यूअर्स के पैनल में सिम्मिलित होने के लिए इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ वैल्यूअर्स/रजिस्टर्ड आर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यूअर के सदस्य होना पात्रता रहेगी।

विभागीय पैनल में सम्मिलित होने के इच्छुक सर्वेयर/वैल्यूअर अपनी तकनीकी/व्यावसायिक योग्यता तथा कार्यानुभव के प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ अपना विवरण सादे कागज पर आवेदन के रूप में कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) द्वीतीय तल, डी—ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योतिनगर जयपुर में दिनांक 25.01.2021 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करा देवें।

सर्वेयर्स एवं वैल्यूअर्स को आई.आर.डी.ए. नियमानुसार एवं निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्य करना होगा। इन्हें जिप्सा—GIPSA(General Insurance Public Sector Association) द्वारा समय—समय पर निर्धारित फीस—शिड्यूल के अनुसार प्रोफेशनल फीस एंव अन्य भत्ते देय होंगे।

Sola War for

(आनन्द स्वरूप) निदेशक

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

राजस्थान, जयपुर।

olyp).2)